निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11/2013	1.3.2013	7-5-2018

1. प्रेम
2. बाबूलाल
3. रमेश

पुत्रान स्वर्गीय मंगल जाति माली
निवासी खानपुरबडौदा ढाणीं गंगाजी की कोठी
तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र स्व0 बुद्धू जाति माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणीं गंगाजी की कोठी तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री भानु कुमार सिंघल , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं। प्रार्थीगण के बुजुर्ग बदले के दो पुत्र हरबक्स व श्योबक्स हुए। हरबक्स के दो पुत्र छट्टू व हट्टू हुए जिनमें हट्टू नाऔलाद फौत हो चुका है। छट्टू के एक पुत्र मंगल हुआ जो प्रार्थीगण का पिता था। मंगल के तीन पुत्र हुए जो प्रार्थीगण हैं। इसी तरह श्योबक्स के दो पुत्र बुद्धू व सुखचन्द उत्पन्न हुए। बुद्धू के एक पुत्र हुआ जो अप्रार्थी श्रीलाल है। सुखचन्द के एक पुत्र जयराम व एक पुत्री केसर हुए। सुखचन्द की पत्नि रामी थी। सुखचन्द का देहान्त काफी समय पूर्व हो चुका है। सुखचन्द की मृत्यु के बाद उसके पुत्र व पुत्री का भी बाल्यकाल में ही देहान्त हो चुका है। इस तरह सुखचन्द की एकमात्र वारिस उसकी पत्नि रामी रही। प्रार्थीगण के पिता मंगल के पिता छट्टू का भी मंगल के बाल्यकाल में निधन हो गया तथा छट्टू की पत्नि यानि प्रार्थीगण की दादी किसी अन्य के नाते बैठ गई। ऐसे में प्रार्थीगण का पिता मंगल अपने बाल्यकाल में रामी के साथ रहने लगा तथा रामी ने तभी से मंगल को अपने पुत्र की हैसियत से अपना लिया। कुछ समय बाद जयराम व केसर की भी मृत्यु होने पर वैसाख सुदी तीज सं0 2010 यानि अक्षय तृतीया को रामी ने मंगल को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार व जाति के रिवाज के अनुसार गोद ले लिया तभी से प्रार्थीगण का पिता मंगल वहैसियत दत्तक पुत्र रामी के पास रहता रहा व रामी की जमीन जायदाद को संभालता रहा है। रामी

की भी दिनांक 12.7.92 को मृत्यु हो चुकी है। रामी की मृत्यु के बाद रामी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का एकमात्र वारिस प्रार्थीगण का पिता मंगल ही रहा है जो रामी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज रहा है तथा रामी की खातेदारी भूमि ख0नं0 903 रकबा 37 एयर ग्राम खानपुरबडौदा को भी लगातार वहैसियत वारिस काश्त करता रहा है तथा प्रार्थीगण भी अपने पिता के साथ उक्त आराजी को लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता मंगल की दिनांक 29.9.2012 को मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ने अपनी दादी रामी की आराजी का नामान्तरकरण अपने हक में खोलने हेतु पटवारी हलका से कहा तो पटवारी हलका ने रामी द्वारा मंगल को गोद लेने का आदेश न्यायालय से लाने को कहा। इस पर प्रार्थीगण ने दत्तक की घोषणां हेतु एक दावा न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में पेश कर दिया जो विचाराधीन है। रामी पत्नि सुखचंद ने प्रार्थीगण के पिता मंगल को बैसाख सुदी तीज सं0 2010 को गोद लिया । रामी व मंगल की मृत्यु हो जाने के कारण रामी की छोडी हुई समस्त चल व अचल सम्पत्ति के प्रार्थीगण ही एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी हैं एवं बहैसियत वारिस रामी की आराजी ख0नं0 903 रकबा 37 एयर को लगातार काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण को यह जानकारी में आया है कि अप्रार्थी श्रीलाल राजस्व अधिकारियों से साज कर प्रार्थीगण को उनके अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है तथा उक्त आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को मजाहमत पैदा करने को आमादा है तथा उक्त आराजी की रिकार्ड की स्थिति भी परिवर्तित कराकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने पर आमादा है जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। जैसाकि अप्रार्थी श्रीलाल ने प्रार्थीगण को दिनांक 22.2.13 को इस हेतु धमकी भी दी है कि मैं उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में शीघ्र ही मेरा नाम दर्ज करवा रहा हूं और तुम्हें जबर्दस्ती बेदखल करके रहूंगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा आराजी ख0नं0 903 रकबा 37 एयर ग्राम खानपुरबडौदा के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग प्रार्थीगण में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावे तथा ताफैसला दावा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति में प्रार्थीगण की सहमति के बिना किसी प्रकार की तब्दीली नहीं करे एवं मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने सजरा गलत पेश किया है। छट्टू का स्वर्गवास कब हुआ इसके बाबत प्रार्थीगण ने कोई तारीख, साल, सम्बत् नहीं लिखा है। छट्टू की पत्नि कब व किसके नाते बैठी यह भी नहीं बताया है। छट्टू की पत्नि किसी के यहां नाते नहीं बैठी बल्कि अपने पुत्र मंगल के साथ रही । इसी कारण प्रार्थीगण ने छट्टू की मृत्यु की तारीख अथवा छट्टू की पत्नि का नाम एवं जिसके यहां नाते बैठी उसका नाम, नाते बैठने का साल आदि अंकित नहीं किया है। प्रार्थीगण का पिता मंगल कभी भी रामी के पास नहीं रहा। रामी ने कभी भी मंगल को अपने पुत्र की हैसियत से नहीं अपनाया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी नहीं बताया है कि छट्टू की पत्नि के नाते बैठते वक्त मंगल की उम्र किने साल की थी तथा क्यों वह नाते जाते समय अपने पुत्र मंगल को अपने साथ नहीं ले गई। प्रार्थीगण ने जयराम व केसर की मृत्यु की तारीख भी नहीं लिखी है । जब रामी के स्वयं का पुत्र जयराम व पुत्री केसर मौजूद थी तो मंगल को अपने पुत्र की हैसियत से अपनाने की बात कतई गलत है। रामी की भूमि को जबाबदार श्रीलाल ही काश्त कर रहा है। श्रीलाल ही रामी की अस्थियों को गंगाजी ले गया व बारह ब्राह्मण आदि भी श्रीलाल ने ही किए। प्रार्थीगण के अनुसार रामी की मृत्यु जब सन् 1992 में हो चुकी थी तो 20 साल मंगल द्वारा अपने हक में खातेदारी इन्द्राज नहीं कराना व गोदपुत्र की घोषणां का दावा नहीं करना यही प्रकट करता है कि रामी द्वारा मंगल को गोद लेने की बात कतई बनावटी है। प्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त जिला जजी गंगापुर सिटी में गोदपुत्र की घोषणां का दावा जब पहले से ही विचाराधीन है तो यह मुकदमा वार्ड वाई ला है। प्रार्थीगण को न्यायालय अतिरिक्त जिला जजी गंगापुर सिटी से किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली इसलिए उनके द्वारा यह झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थी ने अंकित किया है कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है, प्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय से गोद पुत्र होने की घोषणात्मक डिक्री भी प्राप्त नहीं की है। अतः इनके अभाव में यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस न्यायालय को गोद पुत्र की घोषणां का अधिकार नहीं है। एक ही तथ्यों के

न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं हो सकता है। इस प्रकार यह प्रकरण वार्ड वाई ला है। प्रार्थीगण ने अपने पिता मंगल को बैसाख सुदी 3 सं0 2010 में गोद लेना बताया है। गोद के समय दत्तक होम होना, गिविंग एण्ड टेकिंग सेरेमनी होना आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं के समय मौजूद व्यक्तियों के नाम पते प्रार्थीगण ने नहीं बताए हैं। प्रार्थीगण ने दत्तक के समय मंगल की उम्र क्या थी यह नहीं बताया है जबकि दत्तक कार्यवाही के समय उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रार्थीगण ने बताया है कि गोद के समय मंगल अनाथ था तो फिर अनाथ व्यक्ति को गोद किसने दिया यह तथ्य प्रार्थीगण ने अंकित नहीं किए हैं। गोद की कहानी झूंठी एवं मनगढन्त है। पति की मृत्यु के बाद पत्नि गोद उसी स्थिति में ले सकती है जबकि उसे पति ने अपने जीवनकाल में ही यह अधिकार दिया हो कि उसकी मृत्यु के बाद पत्नि गोद ले सकती है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को उसके नैसर्गिक माता–पिता ही गोद दे सकते हैं एवं नैसर्गिक माता–पिता नहीं होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ड ही गोद दे सकता है। रामी की मृत्यु सन् 1992 में हुई है ऐसी स्थिति में मंगल ने अपनी मृत्यु सन् 2012 तक यानि 22 साल तक अपने हक में नामान्तरकरण खुलवाने, गोद की घोषणां की कार्यवाही नहीं की, अप्रार्थी को भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की इस कारण प्रार्थीगण मंगल की मृत्यु के बाद दावा लाने को एस्टोप्ड हैं। प्रार्थीगण के पिता मंगल की गोद के समय छट्टू की पत्नि जीवित थी अथवा मर चुकी थी अथवा गोद में शामिल हुई या नहीं अथवा गोद के समय कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे इन सभी तथ्यों के अभाव में गोद की कहानी झूंठी व मनगढन्त है। प्रार्थीगण के पिता मंगल ने सन् 1992 में अप्रार्थी श्रीलाल से भूमि क्रय करना बताकर सिविल न्यायालय (व0ख0) गंगापुर सिटी में दावा संख्या 12/1994 प्रस्तुत किया था। उस विक्रयनामे, वादपत्र, वकालतनामे, शपथपत्रों, बयानो में मंगल ने स्वयं को छट्टू का पुत्र बतलाया है। यदि मंगल वास्तव में रामी व सुखचन्द का पुत्र होता तो अपने आपको उक्त दावे में, वोटरलिस्ट व अन्य प्रमाण पत्रो में सुखचन्द व रामी का पुत्र बतलाता। यहां तक कि छट्टू की जमीन का इन्द्राज खातेदारी भी मंगल के नाम हो चुका है। माननीय न्यायालय में मुकदमा श्रीलाल बनाम मंगल नाम से स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है जिसमें भी मंगल की बल्दियत छट्टू ही दर्ज है, मंगल ने अपने आपको सुखचन्द का दत्तक पुत्र होना नहीं बतलाया है। मृतक सुखचंद व रामी के कोई पुत्र, पुत्री नहीं थे, लाऔलाद फौत होने के कारण एवं अप्रार्थी

वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने का अधिकारी है। भूमि पर कब्जा जबाबदार का ही है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 की छायाप्रति, नकल नक्शा ट्रेस की छायाप्रति, रामी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मंगल के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश की है एवं रामफूल माली व मीठ्या माली के शपथ पत्र पेश किए हैं।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के समर्थन में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी के मुकदमा उनवानी प्रेम बनाम श्रीलाल की आदेशिका दिनांक 9.11.2013 की छायाप्रति, मुकदमा मंगल बनाम श्रीलाल में निर्णय दिनांक 25.7.2008 की छायाप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) गंगापुर सिटी में प्रस्तुत वाद मंगल बनाम श्रीलाल में निर्णय दिनांक 21.4.2007 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण के पिता मंगल को मृतक सुखचंद की पत्नि मृतक रामी ने सं0 2010 में गोद ले लिया था। तभी से प्रार्थीगण का पिता स्व0 मंगल मृतक रामी के पास रहता रहा। वर्ष 1992 में रामी की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण ने मृतक रामी के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी स्व0 मंगल के वारिस होने के कारण अपने नाम दर्ज कराने हेतु पटवारी हलका से सम्पर्क किया तो पटवारी हलका ने मृतक मंगल के गोदपुत्र होने का प्रमाण मांगा जिस पर प्रार्थीगण ने अपर जिला एवं सैशन न्यायालय गंगापुर सिटी में स्व0 मंगल को स्व0 रामी का गोदपुत्र घोषित करने हेतु वाद दायर किया जो विचाराधीन है। अब अप्रार्थी श्रीलाल अपने आपको मृतक रामी के पति मृतक सुखचन्द के भाई बुद्धू का पुत्र होने के आधार पर वारिस होने के नाते मृतक रामी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा भी डाल रहा है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि मृतक रामी द्वारा मृतक मंगल को गोद लेने की कहानी प्रार्थीगण ने मनगढन्त तैयार की है। रामी की मृत्यु वर्ष 1992 में हुई है तथा मंगल की मृत्यु वर्ष 2012 में

भूमि की खातेदारी अपने नाम लगवाने की कार्यवाही ही नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वह मृतक रामी का गोदपुत्र ही नहीं है एवं मृतक रामी ने उसे कभी गोद ही नहीं लिया। अब मंगल की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ने मंगल को रामी द्वारा गोद लेने की कहानी रचकर मंगल को गोदपुत्र घोषित कराने के लिए न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रेम वगैरा बनाम श्रीलाल प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 9.11.2013 को प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में मंगल ने श्रीलाल के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें मंगल ने अपनी बल्दियत छट्टू ही दर्ज की है। इसी प्रकार मंगल ने वर्ष 1994 में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) गंगापुर सिटी में अप्रार्थी श्रीलाल के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जिसमें भी उसने अपनी बल्दियत छट्टू ही दर्ज की है। इनके अलावा छट्टू की जमीन भी मंगल के नाम आ चुकी है। इनसे यह स्पष्ट है कि स्वयं मंगल ने अपने आपको कभी सुखचंद का गोदपुत्र नहीं माना क्योंकि वह गोद गया ही नहीं था। अब मंगल की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण गोद की झूंठी कहानी रचकर मृतक रामी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि मृतक रामी के पति सुखचंद के भाई बुद्धू का पुत्र होने के नाते अप्रार्थी श्रीलाल मृतक रामी की भूमि का वारिस है एवं वह मृतक रामी की भूमि पर काबिज है। जब प्रार्थीगण ने गोद की घोषणां का मुकदमा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है एवं वहां से उनकी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज हो चुकी है तो अब उन्होने इस न्यायालय से लाभ प्राप्त करने के लिए यह मुकदमा प्रस्तुत किया है जो वार्ड वाई ला है क्योंकि एक ही मामले को लेकर दो मुकदमे नहीं चल सकते हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण का प्रमाणित नहीं है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । प्रार्थीगण इस आधार पर अपना यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा लेकर आए हैं कि उनके पिता स्व0 मंगल को स्व0 सुकचन्द की पत्नि स्व0 रामी ने गोद लिया था। अब मंगल की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण मंगल के वारिस होने के नाते स्व0 रामी की जायदाद पर काबिज हैं तथा इस नाते वे स्व0 रामी की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं परन्तु अप्रार्थी श्रीलाल राजस्व कर्मचारियों से मिलकर

भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है एवं वह प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहा है इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी श्रीलाल का कथन है कि स्व0 रामी ने स्व0 मंगल को कभी गोद नहीं लिया। प्रार्थीगण ने गोद की कहानी झूंठी तैयार की है क्योंकि यदि स्व0 रामी कभी मंगल को गोद लेती तो वह वर्ष 1992 में जब रामी की मृत्यु हुई थी तब से स्वयं की मृत्यु होने तक भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने की कार्यवाही अवश्य करता परन्तु उसने ऐसा कभी नहीं किया। प्रार्थीगण ने भी ऐसी कोई कार्यवाही स्व0 मंगल के जीवित रहते हुए नहीं की क्योंकि वास्तव में मंगल गोद गया ही नहीं था। प्रार्थीगण ने मंगल को रामी का गोदपुत्र घोषित करने के लिए सक्षम न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में वादपत्र दायर किया हुआ है। इस वादपत्र के साथ प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 9.11.13 को खारिज हो चुका है। प्रार्थीगण का जब मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है तो उनका यहां मुकदमा वार्ड वाई ला होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं है । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं है । प्रार्थीगण भूमि पर अपना कब्जा भी प्रमाणित नहीं कर पाए हैं इसलिए उनका अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 7-5-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)